न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट–प्रथम/
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर ऐक्ट), चन्दौली।
उपस्थित– ज्ञान प्रकाश शुक्ल, (एच.जे.एस.)

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–168 सन् 2021
सी.एन.आर.नं0–UPCD-010004422021

राज्य उ. प्र. -- अभियोजनपक्ष

।। बनाम ।।

सद्दाम पुत्र मुन्नू मियां ग्राम सकलडीहा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली।
.....अभियुक्त

मु.अ.सं.–18/2020
धारा–3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट,
थाना–सकलडीहा,
जनपद–चन्दौली।

निर्णय

प्रस्तुत विशेष सत्र परीक्षण वाद में थाना सकलडीहा, जनपद चन्दौली की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण छोटू उर्फ लवकुश, रोहित खरवार, विकास कुमार गोड़ व सद्दाम पुत्र मुन्नू मियां के विरूद्ध मु.अ.सं. 18/2020 अन्तर्गत धारा–3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट, के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि आज दिनांक 31.01.2020 को मैं प्रभारी निरीक्षक सतेन्द्र कुमार मय हमराह का0 अनूप

शुक्ला व का0 दिनेश कुमार मय टाटासूमो सरकारी नंबर यू.पी. 67 जी. 0276 मय चालक प्रभाकर मिश्रा के थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र करता हुआ सघन तिराहा कस्बा सकलडीहा पहुंचा। हम लोग आपस में अपराध एवं अपराधियो के रोकथाम के संबन्ध में बातचीत कर रहे थे कि तभी जनता के कुछ सम्भ्रान्त लोग आये, उनसे बातचीत के दौरान पता चला कि छोटू उर्फ लवकुश पुत्र रामू सेठ ग्राम टिमिलपुरा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली उम्र 22 वर्ष का एक अवैध संगठित गिरोह है, इस गिरोह का सक्रिय सदस्य रोहित खरवार पुत्र पन्ना खरवार ग्राम सकलडीहा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली उम्र 19 वर्ष व विकास कुमार गोड़ पुत्र पंचम गोड़ ग्राम ओडौली उम्र 22 वर्ष व सद्दाम पुत्र मुन्नु मियां ग्राम सकलडीहा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली उम्र 26 वर्ष है। गैंग लीडर छोटू उर्फ लवकुश उपरोक्त अपने तथा अपने साथियो के आर्थित भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु नकबजनी जैसे अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है। इनके भय व आतंक से आम जनता अपने आपको असुरक्षित महसूस करते है। जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध थाने पर न तो कोई सूचना देता है और न ही गवाही देने का साहस करता है। दिनांक 07.09.2019 को अभियुक्तगण द्वारा अम्बेडकर तिराहा कस्बा सकलडीहा में नकब लगाकर चोरी की गयी है। जिसमें माल की बरामदगी करते हुए मु.अ.सं. 147/19 धारा 457, 380, 411 भा.दं.सं. में दिनांक 31.10.2019 को आरोप पत्र संख्या ए–1/2019 व दिनांक 24.11.2019 को आरोप पत्र संख्या ए–2/2019 प्रेषित किया गया है। दिनांक 31.10.2019 को कस्बा सकलडीहा में नकब लगाकर चोरी किये थे जिनके संबन्ध में मु.अ.सं. 307/2016 धारा 380, 457, 411 भा.द.सं. में दिनांक 09.10.2019 को आरोप पत्र संख्या 83/16 प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण का यह कार्य उ0प्र0 गिरोग बंद व समाज विरोधी

क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 3(1) के अंतर्गत दंडनीय है। अभियुक्तगण छोटू उर्फ लवकुश पुत्र रामू सेठ, रोहित खरवार पुत्र पन्ना खरवार, विकास कुमार गोड़ पुत्र पंचम गोड़ सद्दाम पुत्र मुन्नू मियां के विरूद्ध श्रीमान जिलाधिकारी चन्दौली के द्वारा गैग चार्ट अनुमोदित है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओ के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करें।

उक्त लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त छोटू उर्फ लवकुश पुत्र रामू सेठ, रोहित खरवार पुत्र पन्ना खरवार, विकास कुमार गोड़ पुत्र पंचम गोड़ व सद्दाम पुत्र मुन्नू मियां के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 18/2020, अन्तर्गत धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट, थाना सकलडीहा, जिला चन्दौली पंजीकृत की गयी, जिसका विवरण जी0डी0 के कायमी में अंकित है। विवेचनाधिकारी द्वारा मामले की विवेचना की गयी और विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त छोटू उर्फ लवकुश पुत्र रामू सेठ, रोहित खरवार पुत्र पन्ना खरवार, विकास कुमार गोड़ पुत्र पंचम गोड़ व सद्दाम पुत्र मुन्नू मियां के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट, न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अभियुक्त सद्दाम पुत्र मुन्नु मियां के विरूद्ध आरोप दिनांक 14.10.2022 को अंतर्गत धारा–3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट, के अन्तर्गत विरचित किया गया, अभियुक्त ने उक्त आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की। साक्ष्य के स्तर पर अभियुक्त सद्दाम पुत्र मुन्नू मिया द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति हेतु प्रार्थना पत्र जेल द्वारा उचित माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

मैंने राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अन्य सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

चूंकि प्रकरण में अभियुक्त सद्दाम पुत्र मुन्नू मिया के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने की याचना की गयी है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं अभियुक्त सद्दाम पुत्र मुन्नू मिया के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट, के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। सजा के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली बाद लंच पेश हो।

दिनांक–18.10.2022 ई.

(ज्ञान प्रकाश शुक्ला)
आई.डी.,यू.पी.–1534
विशेष सत्र न्यायाधीश,(गैंगेस्टर एक्ट),
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी–प्रथम
चन्दौली।

<u>लंच बादः</u>

पत्रावली बाद लंच सजा के प्रश्न पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। सजा के प्रश्न पर अभियुक्त सद्दाम पुत्र मुन्नू मिया को तथा विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी को सुना गया।

अभियुक्त के द्वारा यह कथन है कि अभियुक्त अत्यन्त गरीब व मजदूर व्यक्ति हैं और उसके परिवार में उसके अतिरिक्त कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं हैं अतः उसे कम से कम सजा से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी ने कथन किया है कि अभियुक्त पेशेवर अपराधी किस्म का व्यक्ति है। अतः उसे अधिक से अधिक सजा से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

मामलें के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमों की प्रकृति एवं जुर्म स्वीकारोक्ति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त सद्दाम पुत्र मुन्नू मिया को **02 वर्ष** के साधारण कारावास एवं **5,000/-** (पांच हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने पर न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति सम्भावित है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सद्दाम पुत्र मुन्नू मिया को विशेष सत्र परीक्षण संख्या-168/2021, मुकदमा अपराध संख्या-18/2020, अन्तर्गत धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना सकलडीहा, जिला चन्दौली के अन्तर्गत **02 वर्ष** के साधारण कारावास एवं **5,000/-**(पांच हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त सद्दाम पुत्र मुन्नू मिया को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। उसके द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि दण्डादेश में समायोजित की जाये।

निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को अविलम्ब एवं निःशुल्क प्रदत्त की जाय। सजायाबी वारण्ट जिला कारागार प्रेषित किया जाये।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–18.10.2022 ई.

(ज्ञान प्रकाश शुक्ला)
आई.डी.,यू.पी.–1534
विशेष सत्र न्यायाधीश,(गैंगेस्टर एक्ट),
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी–प्रथम
चन्दौली।

उक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–18.10.2022 ई.

(ज्ञान प्रकाश शुक्ला)
आई.डी.,यू.पी.–1534
विशेष सत्र न्यायाधीश,(गैंगेस्टर एक्ट),
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी–प्रथम
चन्दौली।